तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **भोम सिंह बनाम** **लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर)** सू.अ. अपील संख्या 63/2024	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/08/2024	अपीलार्थी भोम सिंह निवासी ई 15, अनमोल विला, सुल्तान नगर, बीजेएस कॉलोनी, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 28.06.2024 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर के आदेश के पत्र क्रमांक एफ 8(17)(6)/सिलि/नि.वि.यो./2023/8241 दिनांक 05.07.2023 के क्रम में कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रतिलिपि से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) ने जरिये राजकाज रेफ. 9884489 दिनांक 20.08.2024 से बतलाया कि आवक शाखा, कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के आवेदन पत्र में वर्णित पत्र आवक पंजिका में निरीक्षण करने पर वांछित पत्र नही पाया गया, जिसके अभाव में सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नही है। उक्त सूचना के स्पष्टीकरण से प्रार्थी को पत्र क्रमांक 2050 दिनांक 20.08.2024 द्वारा प्रेषित किया गया। चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना/सूचना के स्पष्टीकरण से लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को अवगत करा दिया गया है अतः लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (गौरव अग्रवाल) जिला कलक्टर, जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)	